

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
कमांक : अराज/सामान्य/2012/592

दिनांक : 18-5-12

आदेश

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- जोधपुर द्वारा जारी निम्न स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेश प्रशासनिक कारणों से निरस्त किये जाते हैं :-

क्र. सं.	आदेश कमांक	दिनांक	स्थानान्तरित कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	ई.2/प.08/ 2012/226-32	12.03.2012	शारदा चौधरी	नर्स द्वितीय (संविदा)
2	ई.2/प.08/ 2012/233-30	12.03.2012	श्री अरुण कुमार वर्मा	लेब टैक्नीशियन
3	ई.2/प.08/ 2012/332-38	17.04.2012	धमेन्द्र कुमार	जीएनएम
			राजराम	जीएनएम
			निर्मला	जीएनएम
			तरुण व्यास	जीएनएम
			ललिता	म.स्वा. कार्यकर्ता
4	ई.2/प.08/ 2012/522-26	07.05.2012	अनिल मालवीय	नर्स द्वितीय
5	ई.2/प.05/ 2012/561-66	07.05.2012	अशोक कुमार	नर्स द्वितीय
			किशन प्रकाश शर्मा	च.श्रे.कर्मचारी
			सुरेन्द्र कुमार शर्मा	च.श्रे.कर्मचारी
6	ई.2/प.14/ 2012/627-32	11.05.2012	लक्ष्मणराम	लेब टैक्नीशियन
7	ई.2/प.08/ 2012/615-18	14.05.2012	शिव कुमार	नर्स द्वितीय
8	ई.2/प.08/ 2012/632-36	14.05.2012	भवंर सिंह	नर्स द्वितीय (संविदा)
			सपना सोलंकी	नर्स द्वितीय (संविदा)
9	ई.2/प.08/ 2012/698-703	14.05.2012	दलपत कुमार	नर्स प्रथम

इस आदेश के फलस्वरूप समस्त स्थानान्तरित कर्मचारी स्थानान्तरण से पूर्व के पदस्थापन स्थान पर कार्य करेंगे। यदि किसी कर्मचारी ने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है, तो उसे तुरन्त कार्यमुक्त कर स्थानान्तरण से पूर्व के स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जावे।

६०


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/2012/592

दिनांक : 18-5-12

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशेषाधिकारी (टी), मा.मुख्यामन्त्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर के कम् में।
टिप्पणी कमांक 8877 दिनांक 16.05.2012 के कम् में।
5. शासन उपसचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)/(ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- जोधपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि इस आदेश की पालना आपके स्तर से सुनिश्चित करावें एवं इन आदेशों के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश ओर हो तो उसकी क्रियान्विति नहीं की जावें एवं निरस्त करने हेतु निदेशालय को तुरन्त भिजवायें।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
10. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख-हैं कि आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर.